घरेलू हिंसा के विरूद्ध कानून देता है ये अधिकार

डा0 पूनम सिंह

समाज के हर वर्ग की स्त्री घरेलू हिंसा की शिकार है। **'घरेलू हिंसा'** नारी समुदाय में भारतीय एकता का प्रतीक है। इक्कीसवीं सदी के **प्रगतिशील समाज** में इस प्रकार की सामाजिक बुराई की व्यापकता समाजशास्त्रीय विवेचना के लिये चुनौती है। प्रथम दृष्टया **घरेलू पृष्ठभूमि**, नशाखोरी, आजीविका की असुरक्षा, अशिक्षा एवं **संकीर्णता** आदि प्रमुख कारक प्रतीत होते हैं किन्तु सबसे बड़ा कारण है, सनातन काल से चली आ रही पुरुष की **आधिपत्यवादी दृष्टि**। जो संस्कार बन कर समाज का सहज व्यवहार बन गई है। सीता का रावण द्वारा हरण हो अथवा राम के द्वारा सीता की अग्नि परीक्षा, द्रौपदी का 'बंटवारा हो या दुनिया को समता का संदेश देने वाले इस्लाम द्वारा औरत को बुर्के में कैद करना, सभी पुरुष **आधिपत्यवाद** के द्योतक हैं।

विशेष रूप से महिलाओं की भूमिका की चर्चा करने वाले साहित्य के स्रोत बहुत ही कम हैं; 1730 ई. के आसपास तंजावुर के एक अधिकारी त्र्यम्बकयज्वन का *स्त्रीधर्मपद्धति* इसका एक महत्वपूर्ण अपवाद है। इस पुस्तक में प्राचीन काल के अपस्तंभ सूत्र (चौथी शताब्दी ई.पू.) के काल के नारी सुलभ आचरण संबंधी नियमों को संकलित किया गया है। इसका मुखड़ा छंद इस प्रकार है:

> *मुख्यो धर्मः स्मृतिषु विहितो भार्तृशुश्रुषानम हि*:
>
> स्त्री का मुख्य कर्तव्य उसके पति की सेवा से जुडा हुआ है।
>
> जहाँ *सुश्रूषा* शब्द (अर्थात, "सुनने की चाह") में ईश्वर के प्रति भक्त की प्रार्थना से लेकर एक दास की निष्ठापूर्ण सेवा तक कई तरह के अर्थ समाहित हैं।

एक टीस से मन में उठती है कि आखिर नारी का जीवन कब तक इस तरह की घरेलू हिंसा के खतरों से घिरा रहेगा। पतियों की हिंसा से बच भी जाये तो बलात्कार, छेड़खानी, भूरण हत्या और दहेज की धधकती आग में वह कब तक भस्म होती रहेगी? कब तक उसके अस्तित्व एवं अस्मिता को **नोचा** जाता रहेगा? कब तक खाप पंचायतें नारी को दोयम दर्जा का मानते हुए तरह–तरह के फरमान जारी करती रहेगी? भरी राजसभा में द्रौपदी को बाल पकड़कर खींचते हुए अंधे सम्राट धृतराष्ट्र के समक्ष उसकी विद्वत मंडली के सामने निर्वस्त्र करने के प्रयास के संस्करण आखिर कब तक शक्ल बदल–बदल कर नारी चरित्र को धुंधलाते रहेंगे? ऐसी ही अनेक शक्लों में नारी के वजूद को धुंधलाने की घटनाएं– जिनमें नारी का दुरुपयोग, उसके साथ अश्लील हरकतें, उसका शोषण, उसकी इज्जत लूटना और हत्या कर देना– मानो आम बात हो गई हो। विरोधाभासी सत्य तो ताजा सर्वेक्षण से उजागर हुआ है जिसमें पन्द्रह साल की उम्र से ही महिलाएं अपने पतियों की हिंसा का शिकार होती है। महिलाओं पर हो रहे इस तरह के अन्याय, अत्याचारों की एक लंबी सूची रोज बन सकती है। न मालूम कितनी महिलाएं, कब तक ऐसे जुल्मों का शिकार होती रहेंगी। कब तक अपनी मजबूरी का फायदा उठाने देती रहेंगी। दिन–प्रतिदिन देश के चेहरे पर लगती यह कालिख को कौन पोछेगा? कौन रोकेगा ऐसे लोगों को जो इस तरह के जघन्य अपराध करते हैं, नारी को अपमानित करते हैं।

भारत में पिछले कुछ सालों से घर से लेकर सड़क और कार्यस्थल तक महिलाओं के उत्पीड़न एवं हिंसा का मुद्दा राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बना है। हाल में मीटू आंदोलन ने इसे और ऊंचाई दी है और खासकर कामकाजी दायरे में यौन शोषण के मुद्दे को केंद्र में ला दिया है। लेकिन गौर करने की बात है कि अभी सारी बहस महिलाओं के सार्वजनिक जीवन को लेकर ही हो रही है। महिलाओं की घरेलू हिंसा के बारे में तो अभी बात शुरू भी नहीं हुई है कि घर के भीतर उन्हें कैसी त्रासद एवं हिंसक घटनाओं को झेलना पड़ रहा है। इस विषय पर चर्चा शायद इस लिए भी नहीं होती कि भारत में घर को एक पवित्र जगह के तौर पर देखा जाता है और इसके भीतरी माहौल को सार्वजनिक चर्चा के दायरे में लाना मर्यादा के खिलाफ समझा जाता है। पुरुषप्रधान समाज को उन आदतों–, वृत्तियों, महत्वाकांक्षाओं, वासनाओं एवं कट्टरताओं को अलविदा कहना ही होगा जिनका हाथ पकड़कर वे उस ढ़लान में उतर गये जहां रफ्तार तेज है और विवेक अनियंत्रित हैं जिसका परिणाम है नारी पर हो रही घरेलू हिंसा, नितनये अपराध और अत्याचार। पुरुष–प्रधान समाज के प्रदूषित एवं विकृत हो चुके – तौर–तरीके ही नहीं बदलने हैं बल्कि उन कारणों की जड़ों को भी उखाड़ फेंकना है जिनके कारण से बारबार नारी को जहर के घूंट पीने को विवश होना पड़ता है।–

घरेलू हिंसा एक अपराध है पर बावजूद इसके इससे जुड़े ज्यादातर मामले सामने आ ही नहीं पाते हैं. कई बार घर–परिवार के डर से तो कई बार समाज में इज्जत खोने के डर से लोग इसे जाहिर नहीं होने देते हैं.

आखिर घरेलू हिंसा है क्या? चारदीवारी के भीतर होने वाली हर हिंसा घरेलू हिंसा की श्रेणी में आती है. दो लोगों के बीच जब प्यार, सम्मान और सहानुभूति की भावना समाप्त होकर नफरत और क्रूरता में तब्दील हो जाती है तो वो घरेलू हिंसा बन जाती है.

ये शारीरिक, सेक्सुअल और व्यवहारिक तीनों ही तरह की हो सकती है. ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि घरेलू हिंसा के क्या–क्या कारण हो सकते. आंकड़ों के आधार पर देखें तो घर में पद, पैसे और दूसरे भौतिक सुखों के चलते ही ज्यादातर मामले घरेलू हिंसा का रूप ले लेते हैं. कई बार बदले की भावना भी इसे जन्म देने का काम करती है.

घरेलू हिंसा एक अपराध है पर बावजूद इसके इससे जुड़े ज्यादातर मामले सामने आ ही नहीं पाते हैं. कई बार घर–परिवार के डर से तो कई बार समाज में इज्जत खोने के डर से लोग इसे जाहिर नहीं होने देते हैं. ऐसे में पीड़ित प्रता ड़ित होता रहता है और पीड़ा देने वाला अपनी बर्बरता करता रहता है.

रिलेशनशिप से जुड़े मामलों के विशेषज्ञों की मानें तो बीते कुछ समय में इस तरह के मामलों में काफी तेजी आई है. विशेषज्ञ मानते हैं कि पार्टनर्स के बीच आपसी भरोसे और प्यार के खत्म हो जाने से ही चीजें इस मुकाम पर पहुंच जाती हैं.

घरेलू हिंसा के प्रभावः

घरेलू हिंसा के प्रभावों का जिक्र करने से पहले ये बात समझ लेना बहुत जरूरी है कि परिवार समाज की इकाई है और अगर परिवार में कलह है तो इसका सीधा असर समाज पर पड़ेगा.ज्यादातर मामलों में महिलाएं ही घरेलू हिंसा की शकिार होती हैं लेकिन ऐसा नहीं है पुरुष वर्ग इससे अछूता है.

घरेलू हिंसा का शिकार हुआ शख्स कभी भी अपने डर से बाहर नहीं आ पाता है अगर किसी शख्स ने अपने जीवन में घरेलू हिंसा झेली है तो उसके लिए इस डर से बाहर आ पाना बेहद मुश्कलि होता है. लगातार हिंसा का शिकार होने के बाद उसकी सोच में नकारात्मकता इस कदर हावी हो जाती है कि उसे अपने को स्थिर करने में सालों लग जाते हैं.

2. मानसिक आघात इंसान को भीतर से तोड़कर रख देता है

घरेलू हिंसा का एक सबसे बुरा पहलू ये है कि इसका पीड़ित मानसिक आघात से बाहर नहीं आ पाता है. ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि लोग या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं या फिर अवसाद का शिकार हो जाते हैं.

3. ये एक ऐसा दर्द है जिसकी दवा शायद ही किसी के पास हो
ऐसे मामले जिनमें शारीरिक यातना भी शामिल है, पीड़ित को बेइंतहा दर्द सहना पड़ता है. कई मामलों में शारीरिक असमर्थता की भी स्थिति आ जाती है या फिर कोई अंग ही काम करना बंद कर देता है. इसके साथ ही कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो जानलेवा भी साबित हो जाती हैं.

4. मनोरोग की स्थिति में पहुंच जाता है पीड़ित
घरेलू हिंसा का ये सबसे खतरनाक और दुखद पहलू है. जिन लोगों पर हम इतना भरोसा करते हैं और जिनके साथ रहते हैं जब वही अपने इस तरह का दुख देते हैं तो इंसान का रिश्तों पर से भरोसा उठ जाता है और वो खुद को अकेला बना लेता है. वो कहीं न कहीं ये तय कर लेता है कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं और उसे अपने सहारे ही रहना होगा. कई बार इस स्थिति में लोग आतमहत्या भी कर लेते हैं.

घरेलू हिंसा औरत का कद छोटा कर देती है। जिसे घर में इज्जत नहीं मिली, उसे बाहर कौन सम्मान देगा? वह मिटती-पिटती रहती है किन्तु **अत्याचारों का धुआं** तक बाहर निकलने नहीं देता है। दरअसल भारत में अब भी **महिलाओं** के लिए शादी को ही एकमात्र **विकल्प** देखना जारी है। जब भी कोई समस्या आती है तो उनके पास दो ही विकल्प होते हैं, या तो सहते हुए

शादी बरकरार रखें या फिर अपनी जान दे दें। महिलाओं को अधिक विकल्प देने की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। यही कारण है तमाम कानून के बावजूद **देहरी के अन्दर का बाघ**, बकरी का आखेट करता आ रहा है।

जख्मी चेहरा, व्यथित मन, दर्द से कराहती देह, असुरक्षित भविष्य, टूटते ख्वाब, दरकता सम्बन्ध, अरुचिकर जीवन और अवसादित जीवन शैली, फिर भी जीवन जीने की मजबूरी। सात दशकों से यही दास्तान है पति और परिवार द्वारा शारीरिक और प्रताड़ित स्त्री की। भारतीय कानून ने इस सारी संवेदनहीनता, वेदना और त्रासदी को समेट कर संक्षेप में **'घरेलू हिंसा'** का नाम दिया है। त्रासदी है कि हिंसा भी अब घरेलू होने लगी है। आजादी के सात दशक बीत जाने के बाद भी आज स्त्री घर की चारदीवारी में भी सुरक्षित नहीं है, अब घर पति गृह में बदलने लगे हैं। पति गृह बन्दी गृह के समान है, जहां अधीक्षक की भूमिका सात जन्मों के जीवन साथी पति ने लेनी शुरू कर दी

संयुक्त राष्ट्र की महिला इकाई के अध्ययन के अनुसार **37 प्रतिशत भारतीय महिलायें** घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। अपने ही जीवन साथी के द्वारा प्रताड़ित की जाती हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्डस ब्यूरो के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2003 में घरेलू हिंसा सम्बन्धी दर्ज मामलों की संख्या 50,703 थी जो 2013 में बढ़कर **118,866** हो गई, यानी दस सालों में इसमें 134 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। एक गैर सरकारी संस्था के मुताबिक, भारत में लगभग पांच करोड़ महिलाओं को अपने घर में ही हिंसा का सामना करना पड़ता है। इनमें से मात्र 0.1 प्रतिशत ही हिंसा के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आगे आती हैं। **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण** भारत सरकार के आंकड़ें इस सम्बन्ध में बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश करते हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि भारत में अशिक्षित महिलाओं की तुलना में पढ़ी-लिखी महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार ज्यादा होती हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, ज्यादा पढ़ी-लिखी महिलाओं को अपने पति से घरेलू हिंसा **का खतरा कम पढ़ी-लिखी की तुलना में 1.54 गुना ज़्यादा होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट ये भी बताती है कि भारत में करीब 37 प्रतिशत महिलाएं अपने पतियों की वजह से घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं।**

युग बदलता रहा, किरदार बदलते रहे लेकिन स्त्री की स्थिति **यथावत** रही। जब भी कोई युद्ध हुआ स्त्री और बच्चियां भी साजो समान के साथ लूटी गयी। औरत की जांघों के ऊपर से दुश्मन फौज फ्लैग मार्च करती हुयी निकल जाती है। स्त्री **'वसुन्धरा'** है। पुरुष 'वीर है। अतः स्त्री भोग की वस्तु है, पुरुष द्वारा भोगा जाना ही उसकी नियति है। अतः यह बाजारों में बिकती है, चौराहों पर नचवायी जाती है। ये 'बेइज्जत चीज बड़ी आसानी से इज्जतदारों में बांट दी जाती है। शनैः शनैः यह प्रवृत्ति समाज के संस्कार में शामिल हो गयी है। घर जिसे दाम्पत्य जीवन में मन्दिर का स्थान प्राप्त है, उसमें स्त्री अपने **'आराध्य पति परमेश्वर'** के द्वारा

हिंसा की शिकार हो रही है। शराबी पुरुष द्वारा इस प्रकार की घटनाये बहुतायत संख्या में प्रकाश में आ रही है। घरेलू हिंसा नारी उत्पीडन का घोर पाश्विक रूप है। बाघ और बकरी सी स्थिति है।

निर्धन परिवार की कमला कई घरों में झाड़ू-पोछा **कर अपने परिवार का भरण-पोषण करती है। घर पहुंचने पर बच्चे खाना और पति शराब के लिये पैसे मांगता है, पैसा देने या आनाकानी करने पर कमला का पीटा जाना नियम सा बन गया है और कमला ने भी स्वयं के साथ हो रही हिंसा को अपना भाग्य मान लिया है।**

कमोवेश **निम्न वर्गीय समाज** मे घरेलू हिंसा की यही स्थिति है, कमला और उसका पति उस समाज के प्रतिनिधि किरदार हैं और विडम्बना यह है कि यह **किरदा**र पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी **प्रासंगिकता** बरकार रखे है। मध्य वर्गीय समाज की भी महिलाओं के प्रति हिंसा लगातार बढ़ रही है। पहले तो स्त्री को प्रतिष्ठता व सम्मान के नाम की दुहाई देकर आर्थिक रुप से पंगु बना दिया, **स्त्री का महोताज** बन जाने के बाद, स्त्री और पुरुष के मध्य दाता और याचक की स्थिति बन गयी। समाज में दाता की स्थिति याचक से अधिक सुदृण होती है। अत: पुरुष सदैव मनोवैज्ञानिक लाभ की स्थिति में होता है। अपनी **'आश्रिता से आश्रयदाता'** की अपेक्षायें भी भिन्न प्रकार की होने लगती हैं। यह **'भिन्नात्मक अपेक्षाओं की पूर्ति में बाधा'**, उसके अहम् को झंकृत कर देती हैं। मन में बैठा 'पशु जिसे अब 'पौरुष के पर्याय के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, जागृत होकर, 'अर्धांगिनी, भार्या, धर्मपत्नी की भाव धारा को क्रूर प्रहारों से लहूलुहान कर देता है। शरीर से अधिक मन पर असर करते हैं ऐसे प्रहार। इस प्रकार की 'घरेलू हिंसा से ग्रसित होने पर स्त्री स्वयं को निराश्रित महसूस करती है। अन्तर्मन की वेदना आंसुओं के स्वरूप में ढलकर सिसकियों की गुहार के साथ बह निकलती हैं। मानो विधाता से कह रही हो कि स्त्री के साथ यह भेदभाव क्यों?

इस घरेलू हिंसा में अपशब्द, मार-पीट और भावनात्मक प्रताडना के साथ-साथ यौन हिंसा का कृत्य भी समावेशित है। संयुक्त राष्ट्र की रपट के अनुसार भारत के **संस्कृतिनिष्ठ समाज** में 48 फीसदी स्त्रियों को अपने ही जीवन साथी द्वारा **यौन हिंसा** का शिकार होना पड़ता है। गृहस्थ जीवन की स्थापना में अनेक उद्देश्यों के साथ-साथ उन्मुक्त यौनाचार के स्थान पर 'संस्थागत समागम के अपेक्षा की गयी है किन्तु नशे की हालत में अथवा उन्मत्ता की स्थिति में पुरुष द्वारा स्त्री (पत्नी) के प्रति इस प्रकार का कुत्सित कृत्य, स्त्री द्वारा स्वयं को 'खूंटे से बंधी गाय , मानने पर विवश करती है। यह हिंसा यही विराम नहीं लेती है। **दान-दहेज** समेत अन्य कारणों से ससुराल पक्ष की महिलाओं द्वारा स्त्रियां प्राय: अपमानित की जाती हैं, उनके द्वारा किये गये मौखिक तथा शारीरिक घात-प्रतिघातों की खबरों से दैनिक समाचार पत्र भरे रहते हैं, स्त्री द्वारा स्त्री को ही भौतिक आग्रहों अथवा **द्वेषवश** लांछित एवं प्रताड़ित करना ससुराल पक्ष की उच्चता के **पारम्परिक दुराग्रहों** को प्रतिबिम्बित करता है।

दीगर है कि यह **पारम्परिक दुराग्रह** सदियों से स्त्री समाज को पीढ़ी दर पीढ़ी, विरासत के रुप में हस्तान्तरित होते आये हैं। आश्चर्य है इन पीड़ादायक और अपमानजनक पारम्परिक दुराग्रहों को नारी समाज ने बड़ जतन से संजोकर रखा है अर्थात स्त्री जब **बहू** बनकर आयी, तो उसने सभी प्रकार दर्द, **पीड़ा और अपमान** को अपना भाग्य मानकर सहा क्योंकि उसने बाल्यकाल में

ही अपनी मां को भी सहते हुये देखा था। वक्त गुजरने के साथ-साथ मां-बहू के साथ ही जेठानी बनी। मां का **'परिवीक्षा काल'** समाप्त हुआ। पदोन्नति प्राप्त हुयी अब तक सही गयी, सही गयी समस्त प्रकार की पीड़ा अतीत की **कटु स्मृतियां** बन गयी। अब नई बहू का **'परिवीक्षा काल'** प्रारम्भ होगा। इस श्रृंखलाबद्ध अटूट अधिनायकवादी विचारधारा ने स्त्री जाति की सम्वेदनशीलता को तिरोहित कर दिया है। 'स्व के पूर्वाग्रह ने 'वयं के आग्रह को ठुकरा दिया है। इस पारम्परिक **'स्व के पूर्वाग्रह'** का जब तक 'वयं का आग्रह हस्तान्तिरत नहीं करेगा, तब तक स्त्री घरेलू हिंसा में साझीदार बनती रहेगी।

ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग के अनिल वर्मा तथा अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र से जुड़े **भारतीय विदेश सेवा** के अधिकारी के **घरेलू हिंसक मामले**, ने राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में खासी सुर्खियां बटोरी थीं। यह तथ्य दिखाते हैं कि तमाम सामाजिक सुधारों, आर्थिक, शैक्षिक तरक्की तथा हिंसा निरोधक कानूनों के बावजूद **घरेलू हिंसा** हमारे शिक्षित समाज के हर स्तर पर मौजूद है और उसे राज्य-समाज से सामाजिक स्वीकृति भी हासिल होती रहती है। प्रताड़ित करने वाले पुरुषों से हमारा समाज गांधी, गौतम सरीखी करुणा और **सम्वेदनशीलता** की उम्मीद नहीं करता है किन्तु हिंसा शिकार स्त्री से यह अपेक्षा की जाती है कि घर की इज्जत बचाने के लिये, गम खाकर घर की बात घर में रखे। ऐसे मनोवैज्ञानिक दबावों के कारण **घरेलू हिंसा कानून-2005** समाज में घरेलू हिंसा के विरुद्ध **पूर्णतय:** दबाव नहीं बना पाने में असफल रहा है। 70 फीसदी **घरेलू हिंसा** के मामले घर की आबरू की दुहाई के कारण कानून की दहलीज तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन इस कानून ने स्त्री को हिंसा के विरोध हेतु शक्ति प्रदान की है, साथ ही पीडिक पक्ष पर **मानसिक दबाव** भी कायम किया है। अभी इस कानून के सम्बन्ध में और अधिक जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग के **घरेलू हिंसा** सम्बन्धी ऑकड़ों पर दृष्टिपात करें, तो उत्तर प्रदेश घरेलू हिंसा में अव्वल है। कुल दो हजार नौ सौ तिरान्वे दर्ज मामलों में एक हजार सात सौ सरसठ मामले उत्तर प्रदेश से हैं। दिल्ली ने दूसरा तथा राजस्थान ने तीसरा स्थान प्राप्त कर अपने-अपने राज्य का 'पौरुष प्रदर्शन किया है। घर में **घरेलू हिंसा** के चलते बच्चों पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। बच्चों में हिंसा से डर पैदा होता है। कई बार यह डर उन्हें आक्रामक बना देता है। बच्चे और बच्चियां हिंसा को **सामान्य व्यवहार** मानने लगते हैं। लड़कियां **डिप्रेशन, तनाव** और नाउम्मीदी की शिकार हो जाती हैं। **सामाजिक संगठनों**, मीडिया, शिक्षा केन्द्रों के प्रयासों से अब जागरूकता के प्रतिशत में बढ़ोत्तरी परिलक्षित हो रही है। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि आर्थिक मोर्चे पर औरत की गैर बराबरी की स्थिति उसे हर प्रकार से कमजोर करती है। सामाजिक प्रताडना से लडने की शक्ति तो घरेलू हिंसा कानून ने स्त्रियों को प्रदान कर दी है साथ ही **जागरूकता** के चलते अब स्त्री और पुरुष के सम्बन्धों में बराबरी और चयन की आजादी के बुनियादी सवाल उठने लगे हैं।

महिलाओं में एक समर्पित गृहणी और खामोश धरोहर के **पाम्परिक रुढिवादी खांचे** से बाहर निकलने की जद्दोजहद दिखने लगी है। वह अपने प्रति हिंसा के पश्चात घर व परिवार की आबरु के नाम पर **भावनात्मक मूर्ख**बनने की जगह आत्म सजग महिला की भांति प्रत्येक स्तर पर प्रतिवाद करती है। **मानवाधिकारों का हवाला** देते हुये प्राथमिकी दर्ज कराती है, तो **समाज की रुढिय़ों** के ठेकेदार को दाम्पत्य का सही मर्म समझने की सीख भी देती हैं। यह सत्य है कि घरेलू हिंसा से मुक्ति की राह में स्त्री समाज ने अभी चलना ही शुरु किया है किन्तु हर बड़ी

विजय एक छोटे स्वप्न और **लडख़ड़ाते प्रयासों** का विस्तार होती हैं, अत: **स्त्री समानता और सशक्तिकरण** का स्वप्न एक दिन जरूर यर्थाथ बनेगा। फिलहाल अभी तो बाघ, बकरी का शिकार कर रहा है।

घरेलू हिंसा के विरूद्ध कानून देता है ये अधिकार

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साल 2013 में घरेलू हिंसा के 118866 मामले दर्ज किए गए हैं. साल 2012 के मुकाबले 2013 में इन घटनाओं में 11.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. भारत में अधिकतर महिलाएं किसी न किसी रूप में घरेलू हिंसा झेलती हैं, जो कई बार हत्या में भी तब्दील हो जाती है. इन घटनाओं के बढ़ने का एक बड़ा कराण है महिलाओं को घरेलू हिंसा के विरूद्ध कानून की जानकारी न होना. कई बार तो महिलाएं जानती ही नहीं की उनके साथ हो रहा दुर्व्यवहार घरेलू हिंसा के दायरे में आता है. अपने अधिकारों की जानकारी के अभाव में वो इन ज्यादतियों को सहन करती जाती हैं. इस बार हम घरेलू हिंसा के विरुद्ध बने कानून महिला सरंक्षण अधिनियम 2005 की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं:

कोई व्यक्ति अगर किसी महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है, उसे क्षतिग्रस्त करता है या खतरा उत्पन्न करता है या फिर ऐसा करने की कोशिश करता है, तो उसे घरेलू हिंसा की श्रेणी में रखा जाएगा. इसके अंतर्गत शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरूपयोग, मौखिक व भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग शामिल हैं. दहेज या अन्य मूल्यवान वस्तुओं या गैरकानूनी मांग की पूर्ति के लिए महिला को या उससे संबंधित व्यक्ति को परेशान करने के मकसद से महिला को उत्पीडित करता है, क्षति पहुंचाता है या खतरा उत्पन्न करता है, तो भी उसे घरेलू हिंसा की श्रेणी में रखा जाएगा.

शारीरिक दुरुपयोग

शारीरिक दुरुपयोग का मतलब है कि कोई भी कार्य या आचरण जो कि महिला के जीवन अंग या स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है. जैसे मारपीट करना, धकेलना, ठोकर मारना, लात मारना, मुक्का मारना,किसी अन्य प्रकार से शारीरिक पीड़ा या क्षति पहुंचाना.

लैंगिक (यौन) दुरुपयोग

लैंगिक प्रकृति का कोई भी व्यवहार जो महिला की गरिमा का दुरुपयोग करता है, अपमानित करता है, तिरस्कृत करता है या उसको भंग करता है. जैसे बलात्कार करना, अश्लील साहित्य या अश्लील तस्वीरों को देखने के लिए विवश करना, महिला के साथ दुर्व्यवहार करना, महिला की पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को आहत करना.

मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग

अपमान, मजाक उड़ाना, तिरस्कार करना, गाली देना और संतान विशेषकर लड़का नहीं होने पर अपमानित करना और हंसी उड़ाना, महिला को शारीरिक कष्ट पहुंचाना या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकियां देना.

आर्थिक दुरुपयोग

कोई भी या सभी आर्थिक या वित्तीय स्रोत जिसकी महिला विधि या प्रथा के तहत हकदार है. किसी महिला और उसकी संतानों को घर से वंचित करना. इसमें स्त्रीधन,संयुक्त संपत्ति, साझी गृहस्थी के इस्तेमाल से अलग करना शामिल है.

घरेलू हिंसा की सूचना

– पीड़ित महिला के अलावा कोई भी पड़ोसी, परिवार का सदस्य या संस्थाएं महिला की सहमति से अपने क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में शिकायत दर्ज कराकर बचावकारी आदेश हासिल कर सकता/ सकती हैं.

– सूचना देने वाले व्यक्ति का कानून में कोई दायित्व नहीं है.

– घरेलू घटना रपट (डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट) एक दफ्तरी प्रारूप है जिसमें घरेलू हिंसा की रिपोर्ट दर्ज करायी जाती है.

पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य

– व्यथित महिला के लिए बचावकारी आदेश, काउंसलिंग, क्षतिपूर्ति, भरण–पोषण, बच्चों का संरक्षण और जरूरत पड़े तो रहने की जगह भी दी जाती है. अगर पीड़ित की रिपोर्ट से जज को ऐसा लगे कि पीड़ित को हिंसा करने वाले से आगे भी खतरा हो सकता है तो जज हिंसा करने वाले को घर से बाहर रहने के आदेश दे सकते हैं.

– इस कानून के अंतर्गत नियुक्त प्रोटेक्शन ऑफिसर (संरक्षण अधिकारी) की जिम्मेदारी है कि पीड़ित महिला को आवेदन लिखने में मदद करे, आवेदन जज तक पहुंचाए एवं कोर्ट से राहत दिलाए.

– व्यथित महिला को संरक्षण अधिकारी की सेवाओं की उपलब्धता के बारे में सूचना देना .

– विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन निशुल्क विधिक सेवाओं की उपलब्धता के बारे में सूचना देना .

– भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अधीन शिकायत दाखिल करने के अधिकार के बारे में सूचना देना.

संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य

महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य:

– मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करना. अगर व्यथित महिला चाहती है तो मजिस्ट्रेट को संरक्षण आदेश देने के लिए प्रार्थना करना,

– यह सुनिश्चित करना कि व्यथित महिला को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधीन कानूनी सहायता दी गयी है .

– यदि महिला चाहती है तो उसे सुरक्षित गृह उपलब्ध कराना. अगर चोट लगी है तो व्यथित महिला की चिकित्सकीय जांच कराना .

– यह सुनिश्चित करना कि धारा 20 के अधीन धन देने के आदेश का अनुपालन और निष्पादन भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किया गया है .

संरक्षण अधिकारी पर कार्यवाही

– कर्तव्यों का पालन न करने पर संरक्षण अधिकारी को एक वर्ष तक का कारावास या 20000 तक जुर्माना या दोनों दंड दिया जा सकता है.

सेवा प्रदाता

कोई स्वैच्छिक संघ या कंपनी जो कि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत है, सेवा प्रदाता है.

सेवा प्रदाता की शक्तियां

घरेलू घटना की रिपोर्ट को दर्ज करना. व्यथित महिला की डॉक्टरी जांच कराना तथा यह सुनिश्चित करना कि व्यथित महिला को घर में रहने को जगह मिल जाए, अगर महिला ऐसी अपेक्षा करती है.

केंद्र और राज्य सरकार के उपाय

अधिनियम की धारा 11 केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित कार्यों को सुनिश्चित किये जाने का जिक्र करती है:

– महिला संरक्षण अधिनियम के उपबंधों का नियमित रूप से टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया के माध्मय से व्यापक प्रचार किया जाता है

– पुलिस अधिकारियों और न्यायिक सेवा के सदस्यों को शामिल करके सरकारी अधिकारियों को अधिनियम द्वारा वर्णित मुद्दों पर संवेदीकरण और जानकारी प्रशिक्षण दिया जाता है.

– गृह मामलों, विधि और व्यवस्था, स्वास्थ्य और मानव संसाधन से संबंधित मंत्रालयों और विभागों के बीच घरेलू हिंसा के विवादों पर उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में तालमेल किया गया है.

सहायता के आदेशों की प्राप्ति

– कोई व्यथित महिला या संरक्षण अधिकारी या व्यथित महिला की ओर से कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत एक या अधिक सहायता प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन पेश कर सकता है. इसके अंतर्गत क्षतिपूर्ति मुआवजा भी शामिल है .

– मजिस्ट्रेट, सुनवाई की पहली तारीख नियत करेगा जो न्यायालय द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से सामान्यता तीन दिन से अधिक नहीं होगी.

– मजिस्ट्रेट, सुनवाई की पहली तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर प्रत्यके आवेदन का निपटारा करने का प्रयास करेगा.

– सहायता के लिए किए गए आवेदन की सुनवाई की तारीख संबंधी सूचना मजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षण अधिकारी को दी जायेगी, जो प्रतिवादी या मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित किसी अन्य व्यक्ति से दो दिन के अंदर तामील कराएगा.

– अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगे कि दोनों पक्ष बंद कमरे में कार्यवाही की सुनवाई चाहते हैं, तो इस अधिनियम के तहत कार्यवाही की सुनवाई बंद कमरे में हो सकती है .

– अधिनियम की धारा 17– के मुताबिक किसी अन्य विधि में किसी विरोधी प्रावधान के होते हुए भी घरेलू संबंध में प्रत्येक महिला को साझी गृहस्थी से कानूनी तरीके से ही बेदखल या निकाला जा सकता है .

– धारा 19– के मुताबिक मजिस्ट्रेट यह संतुष्ट होने पर कि घरेलू हिंसा की गयी है, प्रतिवादी द्वारा महिला को साझी गृहस्थी से बेदखल करने या उसके कब्जे में व्यवधान करने से रोक सकता है .

– मजिस्ट्रेट साझी गृहस्थी, जिसमें महिला निवास करती है या उसके किसी भाग में प्रतिवादी या उसके किसी नातेदार को प्रवेश करने से रोक सकता है .

– मजिस्ट्रेट साझे घर को किसी को सौंपने या उसको बेचने या उसको ऋणग्रस्त करने से प्रतिवादी को रोक सकता है .

– प्रतिवादी को आदेश दिया जा सकता है कि व्यथित महिला को उसी स्तर का, जैसा साझी गृहस्थी में उसके द्वारा उपयोग किया जाता रहा है, वैकल्पिक आवास सुनिश्चित करे या उसके लिए किराये का भुगतान करे.

– न्यायालय, संबंधित थाने के इंचार्ज अधिकारी को व्यथित महिला को संरक्षण प्रदान करने या आवास आदेश को लागू करने में सहायता करने के निर्देश जारी कर सकते हैं .

– मजिस्ट्रेट, व्यथित महिला और उसकी संतान को घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप हुए नुकसान और खर्चों को देने के लिए प्रतिवादी को आदेश जारी कर सकते हैं. इसमें कमाई का नुकसान, चिकित्सकीय व्यय संपत्ति को हटाने या नष्ट करने में हुई हानियां शामिल हैं.

– मजिस्ट्रेट, धन की राहत का भुगतान करने के लिए प्रतिवादी की असफलता पर मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को काम देने वाले मालिक या कर्जदार को सीधे व्यथित महिला को भुगतान करने के निर्देश जारी कर सकते हैं.

– मजिस्ट्रेट, आवेदन की सुनवाई में व्यथित महिला को या उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति को बच्चे की अस्थायी हिफाजत प्रदान कर सकेगा और प्रतिवादी द्वारा ऐसे शिशु से मिलने के लिए विशेष व्यवस्था भी करेगा.

– प्रतिवादी द्वारा संरक्षण आदेश या संरक्षण आदेश के किसी अंतरिम आदेश को न मानना एक अपराध होगा, जिसकी सजा एक वर्ष हो सकती है या फिर जुर्माना जो कि 20000 तक बढ़ाया जा सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं .

– संरक्षण आदेश का उल्लंघन संज्ञेय और गैर–जमानती अपराध है. न्यायालय व्यथित महिला की एकमात्र गवाही पर यह निष्कर्ष निकाल सकती है कि अपराध हुआ है.

केस दर्ज करने के स्थान

- जहां व्यथित महिला स्थायी रुप से या अस्थायी रुप से निवास करती है या नियोजित है.
- जहां प्रत्यर्थी निवास करता है या कारोबार करता है या नियोजित है.
- जहां कार्रवाई का कारण पैदा हुआ है.

महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में व्यथित महिला या प्रत्यर्थी पर आदेश की तामील के 30 दिनों के अंदर अपील की जा सकती है.

पीड़िता किससे संपर्क करे

पीड़ित महिला घरेलू हिंसा से संबंधित अधिकारी जैसे उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बाल विकास परियोजना अधिकारी आदि से शिकायत दर्ज करा सकती है. किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संगठन से संपर्क किया जा सकता है जो महिलाओं और बच्चों के लिए काम करती हो. पुलिस स्टेशन से संपर्क कर सकती है. किसी भी सहयोगी के माध्यम से अथवा स्वयं जिला न्यायालय में प्रार्थना पत्र डाल सकती है.

ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि न तो घरेलू हिंसा को बढ़ावा दें और न ही उसके शिकार बनें. किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा, हिंसा ही है और उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है.